

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

30 JAN 2007 AV 31273

उत्तर प्रदेश

(9)

सकमील किया गया जिसके अनुसार श्रीमती आशा वर्मा पत्नी श्री के० के० वर्मा व पुत्री स्वर्गीय डा० राधेश्याम श्रीवास्तव नजूल भूखण्ड संख्या 1, बेली मुस्तखारजा बंगाला नम्बर 6, पुरुषोत्तम दास टण्डन रोड, शहर इलाहाबाद व उस पर निर्मित मकान नम्बर पुराना 6, नया 27 (27/6), पुरुषोत्तम दास टण्डन रोड, शहर इलाहाबाद का जुज हिस्सा जिसका क्षेत्रफल 2012 वर्गमीटर है, मय ज़मीन व मय तामीरात जो सेटेलमेन्ट उपरोक्त में संलग्न नक्शे में पोरशन नम्बर A2 से दिखाया गया है, तब तनहा मालिक हुई। इसी प्रकार डा० अशोक कुमार श्रीवास्तव पुत्र स्व० डा० राधे श्याम श्रीवास्तव नजूल भूखण्ड संख्या 1, बेली मुस्तखारजा बंगाला नम्बर 6, पुरुषोत्तम दास टण्डन रोड, शहर इलाहाबाद व उस पर निर्मित मकान नम्बर पुराना 6, नया 27 (27/6), पुरुषोत्तम दास टण्डन रोड, शहर इलाहाबाद का जुज हिस्सा जिसका क्षेत्रफल 2012 वर्गमीटर है, मय ज़मीन व मय तामीरात जो सेटेलमेन्ट उपरोक्त में संलग्न नक्शे में पोरशन नम्बर A5 से दिखाया गया है, का तनहा मालिक हुआ। इसी प्रकार विनोद कुमार श्रीवास्तव पुत्र स्व० डा० राधे श्याम श्रीवास्तव केता के लखनगर

जिलेका

उत्तर प्रदेश
न्यायिक
गैर न्यायिक

अपर जिलाधिकारी, (नजूल) इलाहाबाद
राज्यपाल उ० प्र० की ओर से तथा
उनके द्वारा प्राधिकृत

(लक्ष्मी शंकर सिंह)
अपर जिलाधिकारी (नजूल)
इलाहाबाद

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(10)

नजूल भूखण्ड संख्या 1, बेली मुस्तखारजा बंगला नम्बर 6, पुरुषोत्तम दास टण्डन रोड, शहर इलाहाबाद व उस पर निर्मित मकान नम्बर पुराना 6, नया 27 (27/6), पुरुषोत्तम दास टण्डन रोड, शहर इलाहाबाद का जुज हिस्सा जिसका क्षेत्रफल 2012 वर्गमीटर है, मय ज़मीन व मय तामीरात जो सेटलमेन्ट उपरोक्त में संलग्न नक्शे में पोर्शन नम्बर A3 से दिखाया गया है, का तनहा मालिक हुआ। इसी प्रकार ललित कुमार श्रीवास्तव पुत्र स्व० डा० राधे श्याम श्रीवास्तव नजूल भूखण्ड संख्या 1, बेली मुस्तखारजा बंगला नम्बर 6, पुरुषोत्तम दास टण्डन रोड, शहर इलाहाबाद व उस पर निर्मित भवन, का जुज हिस्सा जिसका क्षेत्रफल 2012 वर्गमीटर है, मय ज़मीन व मय तामीरात जो सेटलमेन्ट उपरोक्त में संलग्न नक्शे में पोर्शन नम्बर A4 से दिखाया गया है, का तनहा मालिक हुआ व इसी प्रकार श्रीमती रेनू कुमार पत्नी श्री डा० अनिल कुमार व पुत्री स्व० डा० राधे श्याम श्रीवास्तव नजूल भूखण्ड संख्या 1, बेली मुस्तखारजा बंगला नम्बर 6, पुरुषोत्तम दास टण्डन रोड, शहर इलाहाबाद व उस पर निर्मित मकान नम्बर पुराना 6, नया 27 (27/6), पुरुषोत्तम दास टण्डन रोड, शहर इलाहाबाद के लैलाकार

विधेता

केला के लैलाकार

अमरेंद्र कुमार श्रीवास्तव
वकील
वकील
वकील

अपर जिलाधिकारी, (नजूल) इलाहाबाद
राज्यपाल उ० प्र० की ओर से तथा
उनके द्वारा प्राधिकृत

(लक्ष्मी शंकर सिंह)
अपर जिलाधिकारी (नजूल)
इलाहाबाद

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

30 JAN 2012
131275

(11)

इलाहाबाद का जुज हिस्सा जिसका क्षेत्रफल 2012 वर्गमीटर है, मय जमीन व मय लामौराज (जो सेटलमेन्ट उपरोक्त में संलग्न नक्शे में प्लॉट नम्बर A1 से दिखाया गया है, की वनहा मालिक हुई।

तत्पश्चात पट्टेदार की विधिक उत्तराधिकारी श्रीमती आशा वर्मा पत्नी श्री के० के० वर्मा व पुत्री स्वर्गीय डा० राधेश्याम श्रीवास्तव ने नजूल भूखण्ड संख्या 1, कोली मुस्तवाली बंगला नम्बर 6, पुरुषोत्तम दास टण्डन रोड, शहर इलाहाबाद में अपने अंश भाग के अंश भाग क्षेत्रफल 592 वर्गमीटर भूमि को अपने पक्ष में प्रीहोल्ड कराने हेतु उत्तर प्रदेश शासन की नई नजूल नीति के अन्तर्गत आवेदनपत्र संख्या 86 दिनांक 31.03.2015 ई० को प्रस्तुत किया गया। जिसका प्रीहोल्ड पट्टेदार की विधिक उत्तराधिकारी श्रीमती आशा वर्मा पत्नी श्री के० के० वर्मा व पुत्री स्वर्गीय डा० राधेश्याम श्रीवास्तव के पक्ष में किया जा रहा है। इस प्रकार "केली" पट्टा विलेख की अनुसूची में उल्लिखित नजूल भूखण्ड, जिसे इस विलेख की अनुसूची में वर्णित किया

केला के इलाका

किंवा

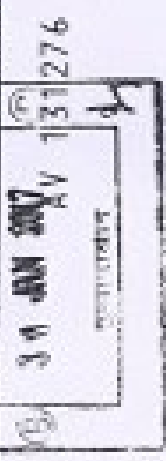
अधिकृत द्वारा प्रमाणित
वकील प्रमाणित
निकट अंग्रेजी

अपर जिलाधिकारी, (नजूल) इलाहाबाद
राजध्वजाल डे० प्र० की ओर से तथा
उनके द्वारा प्राधिकृत

(लक्ष्मी शंकर सिंह)
अपर जिलाधिकारी (नजूल)
इलाहाबाद



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



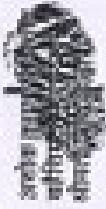
(12)

गया है, की पट्टेदार की विधिक उत्तराधिकारी है।

और धूमि केनी ने इस विलेख की अनुसूची में वर्जित नजूल भूखण्ड जिसकी वह पट्टेदार की विधिक उत्तराधिकारी है, प्रदेश की नजूल भूमि के प्रबन्ध एवं निस्तारण विषयक शासनादेश संख्या-2268/9-आ-4-98-704एन/97, दिनांक 1-12-1998 एवं शासनादेश संख्या-1958/8-4-08-286 एन/08 दिनांक 21.10.2008 एवं शासनादेश संख्या-171/8-4-09-268 एन/08 दिनांक 28.05.2009 एवं शासनादेश संख्या-1588/8-4-11-137 एन/04 दिनांक 28.09.2011 एवं शासनादेश संख्या-01/416/8-4-14-137 एन/8013 दिनांक 04.03.2014 एवं शासनादेश संख्या-03/107/8-4-15-137 एन/15 दिनांक 15.01.2015 में निर्दिष्ट निर्देशानुसार प्रसिद्ध लेण्ड घोषित करने तथा उस पर केता को निजी स्वामित्व प्रदान करने हेतु जिलाधिकारी, जिला-इलाहाबाद को निर्धारित फारम पर प्रार्थना पत्र दिया है।

और चूंकि नजूल भूमि के प्रबन्ध एवं निस्तारण विषयक जारी अपर्युक्त शासनादेशों में निर्दिष्ट निर्देशानुसार शासनादेश संख्या-2268/9-आ-4-98-704एन/97, दिनांक केता के हस्ताक्षर

Ne



अपर जिलाधिकारी, (नजूल) इलाहाबाद
राज्यपाल 30 प्र० की ओर से तथा

उत्तेके द्वारा प्रधिकृत

(लक्ष्मी संकर सिंह)
अपर जिलाधिकारी (नजूल)
इलाहाबाद



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

30 JAN 2017 131277

(13)

1-12-1998 एवं शासनादेश संख्या-1958/8-4-08-286 एन/08 दिनांक 21.10.2008 एवं शासनादेश संख्या-1171/8-4-08-286 एन/08 दिनांक 28.05.2009 एवं शासनादेश संख्या-1586/8-4-11-137 एन/04 दिनांक 28.09.2011 एवं शासनादेश संख्या-01/416/8-4-14-137 एन/2013 दिनांक 04.03.2014 एवं शासनादेश संख्या-03/107/8-4-15-137 एन/15 दिनांक 15.01.2015 के अनुसार स्वमूल्यांकन की धनराशि रुपये 24,46,470/- (रुपये चौबीस लाख डियालीस हजार चार सौ सत्तर मात्र) ट्रेजरी चालान संख्या 11017, दिनांक 26.03.2015 द्वारा तथा दिनांक 07.10.2016 को निर्गत मांग पत्र संख्या 348/नजूल-(एस.एन.सी. XA-8/88(फ्रीहोल्ड) 2016-2017 द्वारा अपेक्षित धनराशि रुपये 92,71,622/- (रुपये दानवे लाख इक्कहत्तर हजार छः सौ बाइस मात्र) ट्रेजरी चालान संख्या A 110014 दिनांक 31.12.2016 द्वारा इस प्रकार सम्पूर्ण आकलित निर्धारित मूल्य रुपये 1,17,18,092/- (रुपये एक करोड़ सत्तर लाख अठ्ठास हजार दानवे मात्र) क्रेती से प्राप्त करके जिलाधिकारी,

कैला के इलाखर

विशेष

Ans

pr

जिला प्रमुख
जिलाधिकारी
कैला के इलाखर

अपर जिलाधिकारी, (नजूल) इलाहाबाद
राज्यपाल 30 प्र० की ओर से तथा
उन्के द्वारा प्राधिकृत

(लक्ष्मी शंकर सिंह)
अपर जिलाधिकारी (नजूल)
इलाहाबाद

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

31 JAN 2017 13:12

(14)

ज़िला-इलाहाबाद आगे वर्णित शर्तों के अधीन इस विलेख की अनुसूची में वर्णित नज़ूल भूखण्ड को निजी स्वामित्व वाला (प्री-होल्ड) भूखण्ड घोषित करने तथा उस पर क़ेती को निजी स्वामित्व प्रदान करने हेतु एतद्वारा सहमत है।

अतः उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय-समय पर यथा संशोधित गवर्नमेन्ट-ग्रान्ट्स ऐक्ट 1895 (सन् 1895 ई० का ऐक्ट संख्या 15) के अधीन निम्नलिखित यह विलेख सक्षी है कि इस विलेख की अनुसूची में वर्णित नज़ूल भूखण्ड क़ेती के पक्ष में प्रीहोल्ड (निजी स्वामित्व) घोषित करने हेतु क़ेती द्वारा विक्रेता को कुल छनराशि रुपये 1,7,18,092/- (रुपये एक करोड़ सत्रह लाख अठ्ठास हजार दानवे मात्र) ज़िला-इलाहाबाद स्थित राजकीय कोषागार में उपर्युक्त ट्रेजरी चालान द्वारा किये भुगतान (जिसकी प्राप्ति विक्रेता एतद्वारा स्वीकार करता है), के प्रतिपक्षस्वरूप तथा आगे वर्णित प्रसविदाओं और शर्तों जिनका क़ेती पालन करेगी, को ध्यान में रखकर विक्रेता एतद्वारा वह भूखण्ड, उसकी सीमाओं सहित, जिसका विवरण इस विलेख की अनुसूची में दिया गया है और जो स्पष्टीकरण के लिये इस विलेख से संलग्न मानचित्र क़ेता के हस्ताक्षर

क़ेता के हस्ताक्षर

विक्रेता

अमेर इमरुल्लाह
वर्तमान प्रकार का
सैन्यी आता

अमेर ज़िलाधिकारी, (नज़ूल) इलाहाबाद
राज्यपाल 30 स० की ओर से तथा

उनके द्वारा प्राधिकृत

(लक्ष्मी रांकर सिंह)
अमेर ज़िलाधिकारी (नज़ूल)
इलाहाबाद

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

30 JAN 2007 AV J131279

(15)

में साल पूरा से प्रदर्शित किया गया है को महायोजना में विनिर्दिष्ट आवासीय भू उपयोग के निमित्त ग्रीहोल्ड घोषित करते हैं और उस पर क्रेती को निजी स्वामित्व प्रदान करते हैं और क्रेती, उसके दायाधिकारी तथा समुनिदेशिती सदा के लिये उसे अपने अधिकार में रखेंगे।

इस विलेख की अनुसूची में वर्णित भूखण्ड या उस पर निर्मित अथवा निर्माण किये जाने वाले भवन के सम्बन्ध में इस समय देय करें और उस पर भविष्य में लगाये जाने वाले करों का भुगतान क्रेती करेगी।

इस विलेख से उत्पन्न या इसके सम्बन्ध में या इसके विषय पर यदि कोई भी विवाद, मतभेद अथवा प्रश्न दोनों पक्षों या उसके दावेदार के बीच कभी उत्पन्न हो तो वह निर्णय हेतु राज्य सरकार के आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के सचिव/प्रमुख सचिव को भेजा जायेगा और उनका निर्णय अन्तिम होगा तथा इस विलेख के दोनों पक्ष उससे बाध्य होंगे।

इस विलेख के निष्पादन एवं पंजीयन के सम्बन्ध में जो कुछ भी व्यव होगा, क्रेती केता के हस्ताक्षर

दिखेता

उत्तर प्रदेश सरकार
वर्तमान प्रशासन
कीन्ही मन्त्री

उपर जिलाधिकारी, (नया) इलाहाबाद
राज्यपाल 30 प्र० की ओर से तथा

उन्के द्वारा प्राधिकृत

(लक्ष्मी शंकर सिंह)
उपर जिलाधिकारी (नया)
इलाहाबाद

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(16)

कहन करेगी।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस विलेख में प्रयुक्त शब्द "विक्रेता" और "क्रेती" के सम्बन्ध में, अब तक कि उनकी इस प्रकार की व्याख्या प्रहंगों से असंगत न हो, "विक्रेता" में उसके पद के उत्तराधिकारियों एवं समुनिदेशिनी का तथा "क्रेती" में उसके दाय्याधिकारियों, निष्पादकों, प्रबन्धकों, प्रतिनिधियों एवं समुनिदेशितियों का अन्तर्भाव है।

इस विलेख के साक्ष्य में क्रेती श्रीमती आशा वर्मा पत्नी श्री के० के० वर्मा व पुत्री स्व० डा० राधे श्याम श्रीवास्तव पूर्व निवासिनी 31, तुला रामबाग, इलाहाबाद वर्तमान निवासिनी मकान नम्बर 318, अलोमीबाग, शहर इलाहाबाद जिन्होंने अपने सगे भाई अशोक कुमार श्रीवास्तव पुत्र स्व० डा० राधे श्याम श्रीवास्तव निवासी 31, तुला रामबाग, इलाहाबाद के पक्ष में दिनांक 15.10.1988 ई० को पॉवर ऑफ एटार्नी निष्पादित किया है और जो अनिवन्धक (प्रथम) इलाहाबाद के कार्यालय में बड़ी संख्या

केला के हस्ताक्षर

विक्रेता

अशोक कुमार श्रीवास्तव
वर्तमान पुनरावृत्त
कीर्ती अशोक वर्मा

अपर जिलाधिकारी, (नजूल) इलाहाबाद
राज्यपाल 30 प्र० की ओर से सख्त
उनके द्वारा प्राधिकृत

(लक्ष्मी शंकर सिंह)
अपर जिलाधिकारी (नजूल)
इलाहाबाद

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

30 JAN 2011 V 131281

(17)

4 शिल्प संख्या 597 के पृष्ठ संख्या 55 से 58 में क्रमांक 1715 पर दिनांक 06.12.1986 ई० को रजिस्टर्ड है, के एडवोकेट होल्डर के रूप में अशोक कुमार श्रीवास्तव पुत्र स्व० डा० राधे श्याम श्रीवास्तव ने और बिक्रेला की ओर से एवं उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी ने उन लिखियों को हस्ताक्षर कर दिये हैं जो उनके हस्ताक्षर के नीचे लिखी हैं।

इसमें अभिविष्ट अनुसूची निम्नांकित है :-

नजूल से परिवर्तित गिहोल्ड भूखण्ड संख्या 1, बेसी मुस्तथारजा, इलाहाबाद (घाट) क्षेत्रफल 592 वर्गमीटर स्थित मोहल्ला मुल्खोत्तम दास टण्डन रोड, तहसील सदर, शहर इलाहाबाद जो संलग्न नक्शे में लाल रंग से दिखाया गया है और जिसकी चौहद्दी निम्नलिखित है :-
चौहद्दी :-

पूरब - 1 नजूल भूखण्ड संख्या 1, बेसी मुस्तथारजा, इलाहाबाद का अंश भाग श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव का।

देवा के हस्ताक्षर

दिनांक

अशोक कुमार श्रीवास्तव
वर्तमान मुस्तथारजा
श्रीवास्तव अंश

अपर जिलाधिकारी, (नजूल) इलाहाबाद
राज्यपाल 30 प्र० की ओर से लया
उत्ते द्वारा प्राधिकृत

(लक्ष्मी शंकर सिंह)
अपर जिलाधिकारी (नजूल)
इलाहाबाद



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(18)

पश्चिम - नज़ूल भूखण्ड संख्या 1, बेली मुस्तखारजा, इलाहाबाद का अंश भाग।
श्रीमती रेनू कुमार का।

उत्तर - नज़ूल भूखण्ड संख्या 1, बेली मुस्तखारजा, इलाहाबाद का अंश भाग।
दक्षिण - पी० डी० टण्डन रोड (कानपुर रोड) इलाहाबाद।

प्रतिहोल्ड के लिये जेता ने स्वमूल्यांकन की धनराशि रुपये 24,46,470/-
(रुपये चौबीस लाख छियालीस हजार चार सौ सत्तर मात्र) ट्रेजरी चालान संख्या
11017 दिनांक 26.03.2015 द्वारा तथा निर्गत मांग पत्र की धनराशि रुपये
92,71,622/- (रुपये बानवे लाख इक्कहत्तर हजार छः सौ बाइस मात्र) ट्रेजरी चालान
संख्या 4 110014 दिनांक 31.12.2016 द्वारा इस प्रकार सम्पूर्ण मूल्य रुपये
1,17,18,092/- (रुपये एक करोड़ सत्रह लाख अठ्ठासह हजार बानवे मात्र) जमा कर
दिया है।

इस फ्रीहोल्ड-विलेख में मुखलिग 7,92,400/- रुपया ज़रिये E-Stamp

केता के इस्तफ़ार

विकेता

अधिकृत
नज़ूल
श्रीमती रेनू कुमार

अपर जिलाधिकारी, (नज़ूल) इलाहाबाद
राज्यपाल 30 प्र० की ओर से तथा

उनके द्वारा प्राधिकृत

(लक्ष्मी शंकर सिंह)
अपर जिलाधिकारी (नज़ूल)
इलाहाबाद



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

30 JUN 2007 AV 131283

(19)

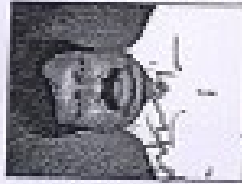
जिसका सर्टिफिकेट नम्बर IN-UP 02301836187518 P व सीरियल नम्बर VO 000650687 है, के द्वारा व मुबलिंग 18,000/- रुपये का भारतीय गैर न्यायिक स्टाम्प अदा किया है इस प्रकार कुल स्टाम्प श्रुद्धी मुबलिंग 8,10,400/- रुपये अदा कर दी गई है। डॉ. रवि कुमार गोपा द्वारा जारी किया गया है।

केला के हस्ताक्षर

चित्रकला

श्रीवती अरोरा उर्फ श्रीवती अरोरा रॉय (सर्व न जूरी सदस्य) द्वारा जारी किया गया है।
गुप्त नगर, उत्तर प्रदेश लोक न्याय निवासी नगर
नम्बर 218, अयोध्या, राय, उत्तर प्रदेश 221007
उत्तर प्रदेश लोक न्याय निवासी

1. श्रीवती अरोरा



श्रीवती अरोरा

Rajesh Kumar Gupta

Dr. R. K. Gupta

21/19, Mayapuri Road

4643416 27087

9905218553

Shri. R. K. Gupta

21/19, Mayapuri Road

4643416 27087

9905218553

अपर जिलाधिकारी, (नजूल) इलाहाबाद
राज्यपाल 30 प्रो की ओर से तथा

उनके द्वारा प्रमाणित
(निर्देशी शक्ति सिद्ध)
अपर जिलाधिकारी (नजूल)
इलाहाबाद

2. श्रीवती अरोरा

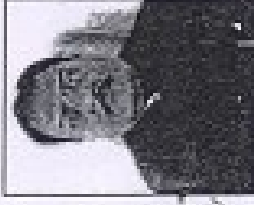
श्रीवती अरोरा

Dr. R. K. Gupta

21/19, Mayapuri Road

4643416 27087

9905218553



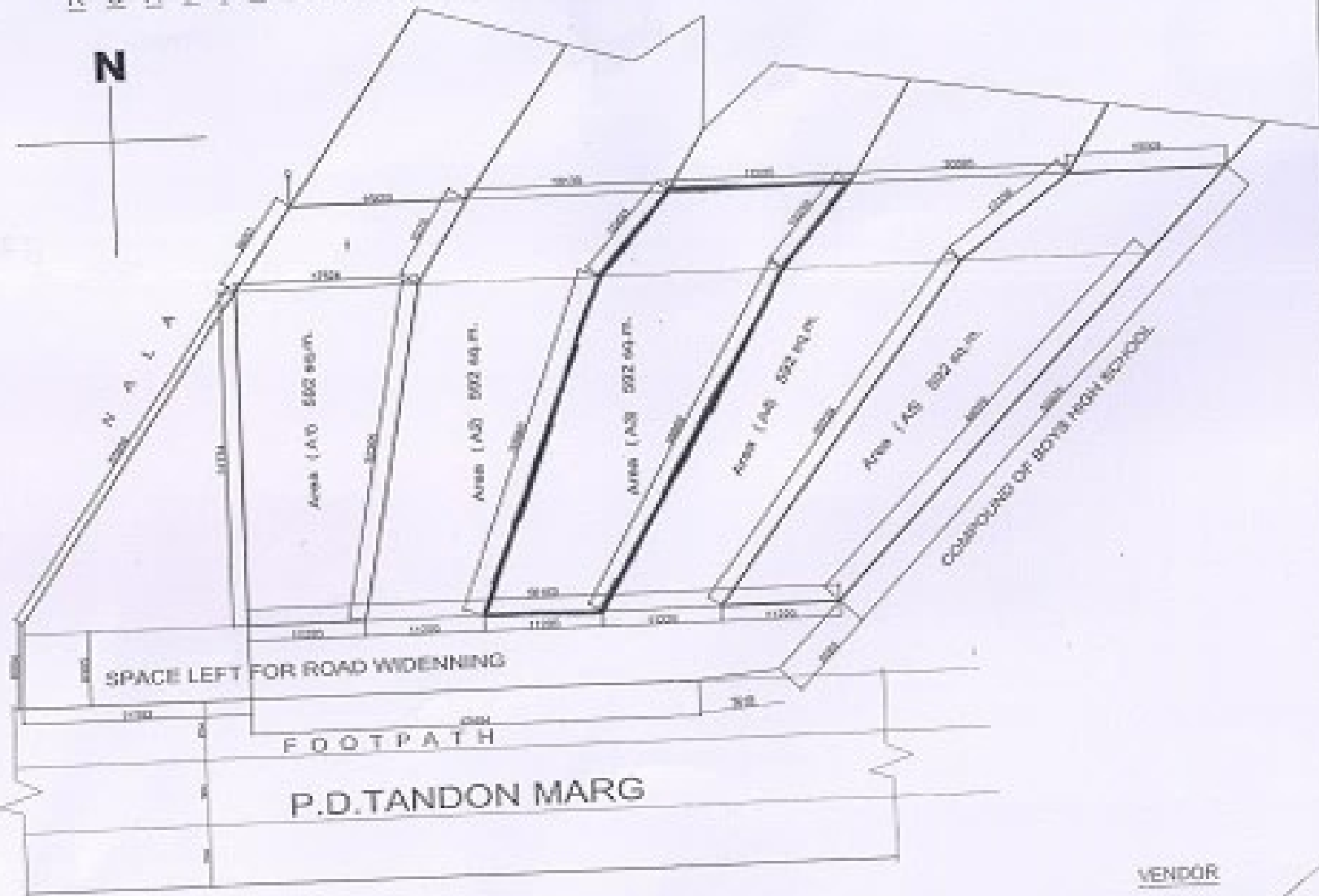
Shri. R. K. Gupta

21/19, Mayapuri Road

4643416 27087

9905218553

SITE PLAN OF NAZUL PLOT NO.-1, BELI MUSTKHARJA, BUNGALOW NO.-6, P.D. TANDON ROAD, ALLAHABAD. AREA - 592.00 SQM. WHICH APPLIED FOR FREEHOLD IN FAVOUR OF SH. VINOD KUMAR SRIVASTAVA, S/O. LATE DR. RADHEY SHYAM SRIVASTAVA TOTAL AREA OF NAZUL PLOT NO.-1, BELI MUSTKHARJA, BUNGLOW NO.-6, P.D. TANDON ROAD, ALLAHABAD : 2 ACRE : 2979 SQ YD.



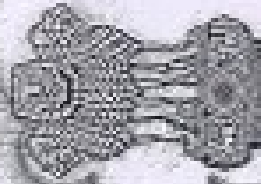
VENDEE

V.K. Srivastava

SH. VINOD KUMAR SRIVASTAVA

VENDOR

A.D.M. (NAZUL) Allahabad
FOR AND AUTHORITY OF
GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH



INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

संश्लेषण संकेत

Certificate No.

Certificate Issued Date

Account Reference

Unique Doc. Reference

Fluorinated by

Description of Document

Property Description

Consideration Price (Rs.)

First Party

Second Party

Stamp Duty Paid By

Stamp Duty Amount (Rs.)

IN-UP03391885167518P

SIUSR HOLDING CORPORATION OF INDIA, AHAD

Stamp Duty Paid By : 0338497381125UP

Stamp Duty Amount (Rs.) : ATTORNEY A K SRIVASTAVA

Stamp Duty Paid By : 0338497381125UP

Stamp Duty Amount (Rs.) : ATTORNEY A K SRIVASTAVA

Stamp Duty Paid By : 0338497381125UP

Stamp Duty Amount (Rs.) : ATTORNEY A K SRIVASTAVA

Stamp Duty Paid By : 0338497381125UP

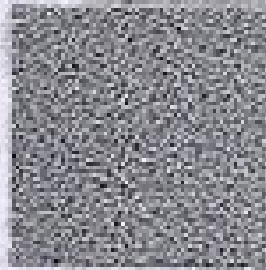
Stamp Duty Amount (Rs.) : ATTORNEY A K SRIVASTAVA

Stamp Duty Paid By : 0338497381125UP

Stamp Duty Amount (Rs.) : ATTORNEY A K SRIVASTAVA

Stamp Duty Paid By : 0338497381125UP

Stamp Duty Amount (Rs.) : ATTORNEY A K SRIVASTAVA



(लक्ष्मी शंकर सिंह)

अवर जिलाधिकारी (नगल)

इलाहाबाद

VO 0000506817

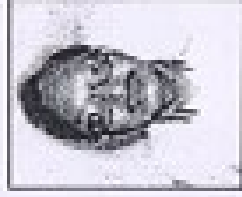
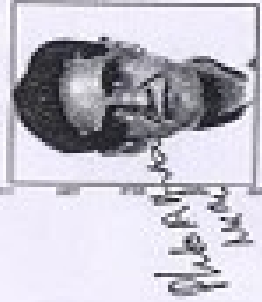


Statutory Alert

1. The authenticity of this stamp is verified by visiting the website www.siusrholding.com. Any discrepancy please inform the Corporation Authority.
2. The stamp of Government of India is not valid for use in the State of Uttar Pradesh.
3. The stamp of Government of India is not valid for use in the State of Uttar Pradesh.



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



(2)

। पट्टागत नज़ूल भूमि के फ्रीहोल्ड का विलेख

नज़ूल भूमि पर निजी स्वामित्व प्रदान किये जाने हेतु फ्रीहोल्ड के प्रमाण पत्र का यह विलेख सन् 2017 ई० के अंश 23 गैर दिनांक, तदनुसार सक सम्मत 1989 के तैयारी माह के अंश पक्ष के 23 गैर दिनांक को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, जिनको यहाँ आगे चल कर "विलेखा" कहा गया है) प्रथम पक्ष तथा श्रीमती आशा रमा रमा श्री के० के० रमा व पुत्री स्वर्गीय हा० राधेश्याम श्रीवास्तव आधार कार्ड नम्बर गोवाइत नम्बर पूर्ण निवासिनी 31, तुला रामबाग, इलाहाबाद वर्तमान निवासिनी मकान नम्बर 318, अलापीबाग, हाकखाना-अलापीबाग, परगना व तहसील सदर, शहर, इलाहाबाद जिला के इलाका



अपर विलेखिकारी, (नज़ूल) इलाहाबाद
राज्यपाल 20 ई० श्री. गोपाल राय
मुख्य निवासी (नज़ूल)
इलाहाबाद



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

30 JUN 2011 V 131267

(3)

(जिनको यहाँ आगे चलकर "केसी" कहा गया है) द्वितीय पक्ष, के माध्यम से लिखा गया है।

चूँकि दि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इन्डिया इन कॉन्सिल एवं श्री एन० के० मुकुर्जी के माध्यम से निष्पादित पट्टा विलेख दिनांक 27.10.1921 जो वही संख्या 1 जिल्द संख्या 469 के पन्ना 57 में विलेख संख्या 1571 के रूप में सब रजिस्ट्रार चायल, जिला इलाहाबाद के कार्यालय में दिनांक 09.11.1921 ई० को रजिस्टर्ड है, (जिसे आगे 'पट्टा विलेख' कहा गया है और जिसमें दि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इन्डिया इन कॉन्सिल को 'पट्टादाता' और उक्त श्री एन० के० मुकुर्जी को "पट्टेदार" कहा गया है) और यह कि उक्त पट्टागत नजूल भूखण्ड संख्या 1, केसी मुस्तफारजा, इलाहाबाद जिसका सम्पूर्ण क्षेत्रफल 2 एकड़ 4423 वर्गगज था, का पट्टा, दि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इन्डिया इन कॉन्सिल द्वारा श्री एन० के० मुकुर्जी के पक्ष में दो 30-30 वर्षीय माध्यवर्तीय नवीनीकरण के प्राविधानों के साथ कुल 90 वर्षों के लिये दिनांक 27.10.1921 ई० को निष्पादित किया गया जो दिनांक 01.10.1921 ई० से 30 वर्ष के लिये प्रभावी रहा और श्री एन० के० मुकुर्जी का नाम पट्टेदार के रूप में केसा के इस्तेमाल

विलेख

अधीनस्थ अधिकारी,
उत्तर प्रदेश नजूल
अधीनस्थ अधिकारी

अपर डिप्टी कमिश्नरी, (नजूल), इलाहाबाद
राज्यपाल (उत्तर प्रदेश) के निदेशानुसार
श्री जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(4)

नजूल भूखण्ड उपरोक्त पर नजूल सम्पत्ति पंजिका में अभिलेखित रहा। पट्टेदार श्री एन० के० मुकुर्जी के निधनोपरान्त श्री अनिल नीलमनी मुकुर्जी (श्री ए० एन० मुकुर्जी) श्री सुरेश कुमार मुकुर्जी (श्री एस० के० मुकुर्जी) उनके पुत्रगण व श्रीमती तोरुलता मुकुर्जी व श्रीमती प्रीतिता मुकुर्जी विवाहोपरान्त श्रीमती फरहत रहमान फली श्री जेह० एफ० रहमान उनकी पुत्रीगण व विधिवक उत्तराधिकारी हुये। तत्पश्चात श्री अनिल नीलमनी मुकुर्जी पुत्र स्वर्गीय एन० के० मुकुर्जी ने दिनांक 18.09.1948 ई० को श्री सैम्युअल सिमियन पुत्र एडवर्ड सिमियन के पक्ष में रजिस्टर्ड जनरल पॉवर ऑफ एटर्नी (मुख्तारनामा) तहरीर व तकमील किया गया जिसकी रजिस्ट्री दफ्तर सब रजिस्ट्रार धनबाद में दिनांक 24.09.1948 ई० को हुई है। इसी प्रकार श्री सुरेश कुमार मुकुर्जी पुत्र स्वर्गीय एन० के० मुकुर्जी ने दिनांक 19.10.1948 ई० को श्री सैम्युअल सिमियन पुत्र एडवर्ड सिमियन के पक्ष में रजिस्टर्ड स्पेशल पॉवर ऑफ एटर्नी (मुख्तारनामा) तहरीर व तकमील किया गया जिसकी रजिस्ट्री दफ्तर सब रजिस्ट्रार इलाहाबाद में दिनांक 22.10.1948 ई० को हुई है। इसी प्रकार श्रीमती केसा के हस्ताक्षर

विशेष

अनिल इन्द्रजीविन
सिमियन पुत्र एडवर्ड
श्रीमती केसा के

अपर जिलाधिकारी, (नजूल) इलाहाबाद

राज्यपाल 30 मा० की ओर से तथा

उपरोक्त द्वारा प्राधिकृत

(लक्ष्मी शंकर सिंह)

अपर जिलाधिकारी (नजूल)

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

30 JAN 2017

AV 131269

(5)

प्रीतिशिला मुकजी पुत्री स्वर्गीय एन० के० मुकजी विवाहोपरान्त श्रीमती फरहत रहमान पत्नी श्री जेड० एफ० रहमान ने दिनांक 27.08.1946 ई० को श्री सैम्युअल सिमियन पुत्र एडवर्ड सिमियन के पक्ष में रजिस्टर्ड जनरल पॉवर ऑफ एटार्नी (मुख्तारनामा) तहरीर व तकमील किया गया जिसकी रजिस्ट्री दफतर सब रजिस्ट्रार शिमला में दिनांक 30.08.1946 ई० को हुई है। इसी प्रकार श्रीमती तोरुलता मुकजी पुत्री स्वर्गीय एन० के० मुकजी व पत्नी कैटन डी०पी०एम० दत्ता ने दिनांक 01.08.1946 ई० को श्री सैम्युअल सिमियन पुत्र एडवर्ड सिमियन के पक्ष में रजिस्टर्ड स्पेशल पॉवर ऑफ एटार्नी (मुख्तारनामा) तहरीर व तकमील किया गया जिसकी रजिस्ट्री दफतर सब रजिस्ट्रार देहरादून में दिनांक 03.09.1946 ई० को हुई है। तत्परचात पट्टेदार के उपरोक्त विधिक उत्तराधिकारियों के जनरल व स्पेशल पॉवर ऑफ एटार्नी होल्डर श्री सैम्युअल सिमियन पुत्र एडवर्ड सिमियन ने बंगला नम्बर 6, कानपुर रोड (पुरुषोत्तमदास टण्डन रोड) इलाहाबाद का जुज हिस्सा क्षेत्रफल 2 एकड़ 2979 वर्गगज व उस पर निर्मित समस्त आउट हाउजेज (गकानात) पेड़, बाग, कम्पाउण्ड केता के हस्ताक्षर

विक्रेता

अशोक कुमार श्रीवास्तव
वैधिवान प्रमाणित
श्रीमती अमिता

अपर जिलाधिकारी, (नवदुल) इलाहाबाद
राजधरपाल उ० प्र० की ओर से तथा

उनके द्वारा प्रमाणित

(लक्ष्मी शंकर सिंह)
अपर जिलाधिकारी (नवदुल)
इलाहाबाद



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(6)

चौल, मर्ल जमीन व मय तामीरात मय लीज होल्डर्स राइट्स को, विक्रय पत्र रजिस्ट्री शुबा दिनांक 23.02.1948 ई० के माध्यम से डा० राधेश्याम श्रीवास्तव पुत्र स्वर्गीय बौके बिकुरी लाल श्रीवास्तव के पक्ष में हस्तान्तरित कर दिया जिसकी रजिस्ट्री बही संख्या 1 जिरूद संख्या 850 के पन्ना 197 से 208 में दस्तावेज नम्बर 281 पर दिनांक 27.02.1948 ई० को सब रजिस्ट्रार चायल, जिला इलाहाबाद के कार्यालय में हुई है। तत्पश्चात् नजूल भूखण्ड संख्या 1, बैली मुस्तखारजा बंगला नम्बर 8, पुरखोत्तम दास टण्डून रोड, शहर इलाहाबाद क्षेत्रफल 2 एकड़ 2979 वर्गगज का पट्टा दि गर्वनर ऑफ यूनीटेड प्राविन्स द्वारा दिनांक 12.02.1949 ई० को डॉ० राधेश्याम श्रीवास्तव के पक्ष में निष्पादित किया गया जो दिनांक 23.02.1948 ई० से 3 वर्ष 7 माह 7 दिन के लिये प्रभावी था। पट्टा विलेख की रजिस्ट्री बही संख्या 1 जिरूद संख्या 869 के पन्ना 247 से 258 में विलेख संख्या 273 के रूप में दिनांक 08.04.1949 ई० को कार्यालय सब रजिस्ट्रार चायल, जिला इलाहाबाद में हुई है और डा० राधेश्याम श्रीवास्तव का नाम नजूल भूखण्ड अपरोक्त पर नजूल सम्पत्ति पंजिका में पट्टेदार के केन्द्र के दस्तावेज

विधेया

Attd



अपर जिलाधिकारी, (नजूल) इलाहाबाद
राज्यपाल उ० प्र० की ओर से तथा

उनके द्वारा प्रमाणित

(लक्ष्मी शंकर सिंह)
अपर जिलाधिकारी (नजूल)
इलाहाबाद



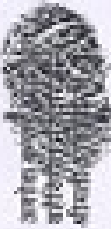
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(6) 30 JAN 2007 V 131271

(7)

रुप में अंकित हुआ। पट्टे की 30 वर्षीय अवधि समाप्त होने पर नज़ूल भूखण्ड संख्या 1, बेटी मुस्तखारजा खंगला नम्बर 6, पुरुषोत्तम दास टण्डुन रोड, शहर इलाहाबाद क्षेत्रफल 2 एक्ड़ 2979 वर्गगज का नवीनीकृत पट्टा दि गर्वनर ऑफ यूनाइटेड प्रोविन्स द्वारा दिनांक 28.04.1954 ई० को डॉ० राधेश्याम श्रीवास्तव के पक्ष में निष्पादित किया गया जो दिनांक 01.10.1951 ई० से 30 वर्षों के लिये प्रभावी है। नवीनीकरण पट्टा विलेख रजिस्ट्री वही संख्या 1 जिल्द संख्या 982 के पन्ना 344 से 346 में विलेख संख्या 3409 के रूप में दिनांक 27.12.1954 ई० को कार्यालय सब रजिस्ट्रार चायल, जिला इलाहाबाद में हुई है। पट्टेदार डा० राधेश्याम श्रीवास्तव का स्वर्गवास अरसा पूर्व दिनांक 24.06.1983 ई० को हो गया है और उनकी पत्नी श्रीमती तारा श्रीवास्तव का भी स्वर्गवास दिनांक 25.03.2002 ई० को हो गया है और स्वर्गीय पट्टेदार डा० राधेश्याम श्रीवास्तव व उनकी पत्नी स्वर्गीय श्रीमती तारा श्रीवास्तव ने अपने स्वर्गवास पर डा० अशोक कुमार श्रीवास्तव, विनोद कुमार श्रीवास्तव व ललित कुमार श्रीवास्तव को अपना पुत्रागण व श्रीमती आशा वर्मा व श्रीमती रेनु कुमार को मेला के हस्ताक्षर

विकेला



अपर जिलाधिकारी, (नज़ूल) इलाहाबाद
राज्यपाल 30 प्र० की ओर से तथा
उनके द्वारा प्राधिकृत

(लक्ष्मी शंकर सिंह)
अपर जिलाधिकारी (नज़ूल)
इलाहाबाद

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

34 JAN 2017 13 272

(8)

अपनी पुत्रीगण व विधिक उत्तराधिकारी छोड़ा। इस प्रकार डा० अशोक कुमार श्रीवास्तव, विनोद कुमार श्रीवास्तव व ललित कुमार श्रीवास्तव व श्रीमती आशा वर्मा व श्रीमती रेनू कुमार स्वर्गीय पट्टेदार डा० राधेश्याम श्रीवास्तव के पुत्रीगण, पुत्रीगण व विधिक उत्तराधिकारी की हस्तियत से नज़ूल भूखण्ड संख्या 1, खेती मुस्तखारजा बंगला नम्बर 6, पुरखोत्तम दास टण्डुन रोड, शहर इलाहाबाद क्षेत्रफल 2 एकड़ 2979 वर्गज के संयुक्त पट्टेदार हुये। तत्पश्चात स्वर्गीय पट्टेदार डा० राधेश्याम श्रीवास्तव के पुत्रीगण, पुत्रीगण व विधिक उत्तराधिकारियों के माध्य नज़ूल भूखण्ड संख्या 1, खेती मुस्तखारजा बंगला नम्बर 6, पुरखोत्तम दास टण्डुन रोड, शहर इलाहाबाद क्षेत्रफल 2 एकड़ 2979 वर्गज व उस पर निर्मित मकान नम्बर पुराना 6, नया 27 (27/6), पुरखोत्तम दास टण्डुन रोड, शहर इलाहाबाद के सम्बन्ध में आपसी समझौते के अनुसार ओरल फैमिली सेटलमेन्ट हो गया और उक्त ओरल फैमिली सेटलमेन्ट की बाबत एक दस्तावेज बतौर याददाश्त दिनांक 20.03.2015 को स्वर्गीय पट्टेदार डॉ० राधेश्याम श्रीवास्तव के उपरोक्त विधिक उत्तराधिकारियों के मध्य तहरीर व केस के हस्ताक्षर

सिद्धेता

अपर जिलाधिकारी, (नज़ूल) इलाहाबाद
राज्यपाल उ० प्र० की ओर से तथा
उनके द्वारा प्राधिकृत

(लक्ष्मी शंकर सि०)
अपर जिलाधिकारी (नज़ूल)
इलाहाबाद